

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1-34/10/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/6/16

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय :- स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले संविदा शाला शिक्षकों को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने तथा संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण के संबंध में।

—0—

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-4/2007/20-1 भोपाल, दिनांक 28.06.2007 द्वारा संविदा शाला शिक्षकों से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्देश दिये गये है :-

1. संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त तभी किया जाए। जब संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपरक मापदण्ड के अनुरूप रहा हो तथा उनके द्वारा एन.सी.टी. ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर ली गई हो, इस हेतु विभाग वस्तुपरक मापदण्ड निर्धारित करने की कार्यवाही करें। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए।
2. जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर नये संवर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।
3. जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप रहा है परन्तु केवल निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी नये संवर्ग में नियुक्ति नहीं हो पायी हो उनकी संविदा अवधि वग आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार संवैतनिक अवकाश निम्नलिखित अनुसार स्वीकृत किया जाए :-

(एक) संवैतनिक अवकाश शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में नियमित रूप से प्रवेश लेकर अध्ययन की स्थिति में स्वीकृत किया जायेगा।

(दो) पत्राचार के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन किया जाता है तो केवल अध्ययन की परीक्षा की अवधि का ही संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

कंडिका (एक) एवं (दो) में उल्लेखित अवकाश स्वीकृति के पहले अध्ययन की पूर्वानुमति स्पष्ट रूप से सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगी।

4. निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षक जो दूसरी संविदा अवधि के उपरांत भी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं उनकी संविदा नियुक्ति का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षकों के लिए स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले संविदा शाला शिक्षकों को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने तथा संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण के संबंध में कार्यवाही उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार की जाए।



(सी.बी. पडवार)

अवर सचिव


म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 28/7/10

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1-34/10/20-1
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव

म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग